



2026:AHC-LKO:7507-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं. - 12348/2025

सैयद अब्बास अख्तर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के माध्यम से और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: इशान बघेल, मोहम्मद खालिद

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., मोहम्मद तारिक सईद, सैयद
आफताब अहमदन्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. रिट याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश शिया केन्द्रीय वक्फ बोर्ड द्वारा 13.10.2025 के आदेश को चुनौती दी है।

2. उक्त आदेश के विरुद्ध, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83 (2) के अंतर्गत, जैसा कि वर्तमान तक संशोधित है, उपचार उपलब्ध है। न्यायाधिकरण का कोरम अभी तक पूर्ण नहीं है, इसलिए यह निष्क्रिय है। फिर भी, धारा 83 (2) में जोड़े गए परन्तुक के अनुसार, यदि कोई न्यायाधिकरण नहीं है या न्यायाधिकरण निष्क्रिय है, तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता के पास इसी न्यायालय के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष विधिक उपचार उपलब्ध है, यद्यपि वह अपील के रूप में हो। याचिकाकर्ता को विधिक रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए।

3. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हमें इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।

4. तदनुसार, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

2 फरवरी, 2026

अनुज सिंह